

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक 22.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

थाना सैफनी:-47 पव्वे देशी शराब मस्तीह मार्का के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 21-11-2021 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा तिलक सिंह पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मल्लूपुर जन्नू थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद 17 पव्वे देशी शराब मस्तीह मार्का के साथ बस स्टैंड कस्बा सैफनी से तथा नीटू उर्फ नंदराम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम ताजपुर बेहटा थाना सैफनी जनपद रामपुर के कब्जे से 30 पव्वे देशी शराब मस्तीह मार्का के साथ इंटीग्रल कॉलेज के पास शाहबाद-बिलारी रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- तिलक सिंह पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मल्लूपुर जन्नू थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

02- नीटू उर्फ नंदराम पुत्र रामलाल निवासी ग्राम ताजपुर बेहटा थाना सैफनी जनपद रामपुर।

बरामदगी-

01-अभियुक्त तिलक सिंह के कब्जे से 17 पव्वे देशी शराब मस्तीह मार्का बरामद हुए।

02-अभियुक्त नीटू उर्फ नंदराम के कब्जे से 30 पव्वे देशी शराब मस्तीह मार्का बरामद हुए।

कार्यवाही-

01-मु0अ0सं0-66/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम तिलक सिंह।

02-मु0अ0सं0-67/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम नीटू उर्फ नंदराम।
थाना कोतवाली:-250 ग्राम चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 21-11-2021 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा शावेज पुत्र रईस अहमद निवासी नई बस्ती नानकार हाफिज साहब की मजार नूरानी कॉलोनी थाना गंज जनपद रामपुर को राजू का तकिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-223/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:-360 गोली अलप्राजोलम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 21-11-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र पुत्र चुन्नी लाल निवासी पंजाब नगर थाना सिविल लाइन, रामपुर को ज्वालानगर तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 360 गोली अलप्राजोलम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-416/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना भोट:-दहेज की मांग, मारपीट आदि में पति गिरफ्तार-

दिनांक 22-11-2021 को थाना भोट, रामपुर पुलिस द्वारा आसिफ पुत्र छोटे निवासी ग्राम सिलाई बड़ा थाना मिलक जनपद रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-137/21 धारा 498ए/323/324/354/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम में वांछित चल रहा था।